न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (डीग)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांकः 25.11.2024
वाद संख्याः 04/2024

1. हारून पुत्र जबराम जाति मेव निवासी ग्राम खेडला छज्जू तहसील सीकरी जिला डीग।

———अपीलांट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सिहावली, तहसील सीकरी जिला डीग।

———रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 792 दिनांक 01.03.2024 ग्राम पंचायत सिहावली तहसील सीकरी।

उपस्थितः–

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता अपीलान्ट।

निर्णय

यह अपील अपीलान्ट ने इस आशय की संस्थित की कि आराजी खसरा नंबर 248/0.64 बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील सीकरी में से 1/4 हिस्सा अपीलार्थी ने दिनांक 15.12.2023 को अमीखां पुत्र हसमल जाति मेव निवासी महारायपुर तह0 सीकरी से जरिए रजिस्टर्ड वयनामा कय किया था तथा मौके का कब्जा भी उसी दिन विकेता अमीखां ने केता हारून को दे दिया था। विवादित आराजी पर अपीलान्ट वक्त खरीद से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत सिहावली ने दूषित मंतव्यों की पूर्ति में अपीलार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से विवादित आराजी खसरा नंबर 248/0.64 बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील सीकरी के 1/4 हिस्से जो कि अपीलार्थी ने दिनांक 15.12.2023 को अमी खां पुत्र हसमल जाति मेव निवासी महरायपुर से जरिए रजिस्टर्ड वयनामा कय किया था, का नामांतरकरण संख्या 792 दिनांक 01.03.2024 को निरस्त करने का आदेश दिया। अंत में अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सिहावली के आदेश दिनांक 01.03.2024 सरपंच ग्राम पंचायत सिहावली संबंधित नामान्तरकरण संख्या 792 बाके ग्राम खेडला छज्जू तह0 सीकरी को निरस्त फरमाया जावे तथा आराजी खसरा नंबर 248/0.64 बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील सीकरी के 1/4 हिस्से पर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

अपीलान्टस की अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 25.11.2024 को रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ने स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग) राज0

रेस्पोडेन्ट ने अपने जबाब में कथन किया कि हारून पुत्र जबराम जाति मेव निवासी खेडला छज्जू तह0 सीकरी अपीलार्थी ने उक्त भूमि आराजी खसरा नंबर 248/0.64 बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील सीकरी के 1/4 हिस्से को दिनांक 15.12.2023 के अमीखां पुत्र हसमल जाति मेव निवासी महरायपुर तह0 सीकरी से जरिए रजिस्टर्ड वयनामा क्रय कर मौके पर कब्जा भी उसी दिन विक्रेता से प्राप्त कर लिया था। तथा वर्तमान में भी क्रेता हारून खरीदशुदा आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त खरीदशुदा भूमि का दाखिल खारिज क्रेता हारून पुत्र जबराम जाति मेव निवासी खेडला छज्जू तह0 सीकरी के नाम चढा दिया जावे तो इसमें ग्राम पंचायत सिहावली को कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलान्ट ने अपने अपील के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 792 ग्राम पंचायत सिहावली की प्रति, हाल जमाबंदी की प्रति एवं वयनामा की प्रति पेश की हैं।

वकील अपीलान्ट की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं जबाब रेस्पोडेन्ट का अवलोकन किया गया एवं अपीलान्ट के कथनों पर विचार करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नंबर 248/0.64 बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील सीकरी के 1/4 हिस्से तहसील सीकरी को जरिए वयनामा क्रय किया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गुलपाडा का अपीलाधीन आदेश विरासत नामांतरकरण संख्या 792 दिनांक 01.03.2024 निरस्त फरमाया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सीकरी को प्रतिप्रेषित कर तहसीलदार सीकरी को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार जांच कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार सीकरी को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (डीग)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकरी (डीग) राज०